न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(अनीता कुमारी खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः—53 / 2024 निर्णय दिनांकः— 30.04.2025

1 रामसहाय पुत्र श्योराम मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
2 जगदीश पुत्र श्योराम मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
3 पांचू पुत्र श्योराम मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
4 रामजीलाल पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
5 कालूराम पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
6 मेवाराम पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
7 रामनारायण पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
8 हनुमान पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
9 नारायण पुत्र हरसाय मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
10 नैना बेवा लालू मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
11 कानी पुत्री लालू मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
12 मोरपाल पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
13 अर्जून पुत्र गणेश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
14 रामजीलाल पुत्र गणेश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
15 भरतलाल पुत्र गणेश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
16 सीताराम पुत्र गणेश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
17 जन्सी पुत्र नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
18 सन्तरा पत्नि ओमप्रकाश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
19 तन्नू पुत्री ओमप्रकाश मीणा जरिये नाबालिग माता सन्तरा पत्नि ओमप्रकाश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
20 अक्षिता पुत्री ओमप्रकाश मीणा जरिये नाबालिग माता सन्तरा पत्नि ओमप्रकाश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र भोरया मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
2. कल्लू पुत्र भोरया मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
3. फेलीराम पुत्र केसरा मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
4. कमलेश पुत्र शंकर मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
5. रामोती पत्नि शंकर मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
6. रामअवतार पुत्र जगदीश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
7. संजय पुत्र जगदीश मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
8. कल्याण पुत्र झूपा मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
9. मोरपाल पुत्र मूल्या मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
10. रेवड़ पुत्र भूरा मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
11. शंकर पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
12. शिवराज पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
13. श्योजी पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
14. कालू पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
15. रामकेश पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
16. मोसम पुत्र नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
17. रानोती पुत्री नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
18. छोटी पुत्री नरसी मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
19. रामफूल पुत्र नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
20. रामकरण पुत्र नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
21. श्रवण पुत्र नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
22. सूखपाल पुत्र नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
23. गंगा पुत्री नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
24. ज्याना पुत्री नारायण मीणा निवासी जगसरा तह0 निवाई जिला टोंक
25. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

Scanned with OKEN Scanner

26. नायब तहसीलदार एवं उप–पंजीयक दतवास तह0 निवाई जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा इस्तकरार हक घोषणा दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88,188 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1. श्री सीताराम शर्मा वकील वादीगण
2. श्री रामकल्याण पुनिया वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद वादीगण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि ख0न0 44 रकबा 0.5691 हैक्टयर, ख0न0 92 रकबा 1.3279 हैक्टयर, वाके ग्राम श्रीरूपपुरा, ख0न0 345 रकबा 0.5438 हैक्टयर, ख0न0 355 रकबा 1.9096 हैक्टयर, ख0न0 356 रकबा 0.0759 हैक्टयर, ख0न0 366 रकबा 0.2276 हैक्टयर, ख0न0 372 रकबा 0.0632 हैक्टयर, ख0न0 373 रकबा 0.0379 हैक्टयर, ख0न0 374 रकबा 0.6956 हैक्टयर, ख0न0 375 रकबा 0.1265 हैक्टयर, ख0न0 376 रकबा 0.1900 हैक्टयर, ख0न0 377 रकबा 0.0253 हैक्टयर, ख0न0 378 रकबा 0.2656 हैक्टयर, ख0न0 463 रकबा 0.1518 हैक्टयर, ख0न0 703/801 रकबा 5.1100 हैक्टयर ख0न0 703/802 रकबा 0.1200 हैक्टयर, ख0न0 703/808 रकबा 0.8473 हैक्टयर, ख0न0 746 रकबा 0.2150 हैक्टयर, ख0न0 747 रकबा 0.2276 हैक्टयर, ख0न0 748 रकबा 0.2403 हैक्टयर, ख0न0 749 रकबा 0.0632 हैक्टयर, ख0न0 756 रकबा 0.0379 हैक्टयर, ख0न0 757 रकबा 0.2023 हैक्टयर, ख0न0 758 रकबा 0.0506 हैक्टयर, ख0न0 759 रकबा 0.2403 हैक्टयर, ख0न0 760 रकबा 0.0253 हैक्टयर, ख0न0 761 रकबा 0.1265 हैक्टयर, ख0न0 762 रकबा 0.0632 हैक्टयर, वाके ग्राम जगसरा एव ख0न0 17 रकबा 0.6197 हैक्टयर, ख0न0 18 रकबा 1.3026 हैक्टयर, ख0न0 19 रकबा 4.1480 हैक्टयर, वाके ग्रम बाढ कुकस्या में दर्ज रिकार्ड है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने बाप दादाओ के समय से ही बोते जोते आ रहै है। एवं मोके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पारिवारिक बुआ मंगली पत्नी नानगा के नाम दर्ज रिकार्ड है जो फोत हो चुकी है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 ता 24 उक्त आराजी का नामान्तकरण फर्जी एव बिना हक अधिकार के भरवाना चाहते है। जबकि वसीयत बावत उक्त प्रकरण में पूर्व में भरे गये नामान्तकरण संख्या 15 ग्राम बाढ कुकस्या एवं नामान्तकरण संख्या 223,224,225,226 ग्राम जगसरा एवं नामान्तकरण संख्या 92 ग्राम श्री रूपपुरा बावत प्रकरण मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर में विचाराधीन है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 ता 24 फर्जी वसीयतों के आधार पर वादीगणों को बिना सुनवाई किये ही नामान्तरण भरने पर आमदा है। जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त आराजियात स्वर्गीय मंगली की खातेदारी की भूमि जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने बाप दादाओं के समय से ही काबिज कास्त है अतः मंगली की खातेदारी उक्त वर्णित जमीन को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक में खातेदारी घोषणा की जाकर रिकॉर्ड राजस्व स्व0 मंगली की जगह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 नाम अंकित किया जाकर मुताबिक हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का तकासमा किया जाकर प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं बल्कि जरियें एजेन्ट नोकर भी बाधा मजामत दखलअंदाजी अड़चने कारित नही करें। वादीगणों के फसल बौने जोतने व रूकावट पैदा नहीं करें। इस आशय की डिकी वहक वादी पक्ष पारित फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गई। प्रतिवादी संख्या 8 ता 24 की ओर से श्री रामकल्याण पूनिया एडवोकेट ने वकालतनामा व प्राथना पत्र बावत् पूर्व न्याय रेस जूडीकेटा धारा 11 पेश किया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से एडवोकेट रामेश्वर चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 11 जाब्ता दीवानी पेश किया गया। नकल दिलवाई गई। प्रतिवादी संख्या 25 व 26 बाद तामील असालतन वकालतन गैर हाजिर। अतः इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थी/प्रतिवादी ने रेस जूडीकेटा प्रार्थना प्रत्र धारा 11 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–वादी द्वारा तकासमा उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ दुरूस्ती इन्द्राज की अधियाचना के साथ खसरा नम्बर 44,92 वाके ग्राम श्रीरूपपुरा व खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 345, 355, 356, 366, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 463, 703/801, 703/802, 703/803, 703/808, 746, 747, 748, 749, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 कुल किता 27 कुल रकबा 8.8146 हैक्टयर वाके ग्राम जगसरा व खसरा न. 17,18,19 वाके ग्राम बाद कुकस्या तह0 निवाई जिला टोंक की आराजियत बाबत् मुकदमा न्यायालय हाजा में दिनांक 26.06.2024 को पेश किया था, और स्थगन प्राप्त किया था वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा न. बाबत् इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा दिनांक 02.08.1994 को लालू बनाम मंगली के नाम से दावा दायर किया था। जिसमें भी वादीगण धारा उक्त भूमि में अपना हिस्सा उधघोषित करने के लिए वाद दायर किया था। इस उनवानी वाद में जिस प्रकार कहानी गढ़ कर वाद तैयार किया था। उसी प्रकार न्यायालय हाजा में जो उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया है उसमें भी वही कहानी गढ़ कर वाद प्रस्तुत किया है। पहले वाले मुकदमें के न. 609/1994 थे उक्त वाद को वादीगण साबित नही कर पाये थे इस वजह से दिनांक 08.03.2013 को वाद वादीगण खारिज कर दिया गया था दिनांक 08.03.2013 के निर्णय के विरूद्ध इन्ही वादीगण द्वारा मान्य राजस्व अपील अधिकारी टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कि गई उसके पश्चात उक्त प्रकरण मान्य राजस्व मण्डल अजमेर के यहां विचाराधीन हुआ। राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त अपील 1933/15 के रूप में दर्ज हुई जिसमें दिनांक 30.05.2024 को आरएए टोंक का निर्णय दिनांक 07.04.2015 को निरस्त करते हुए मान्य उपखण्ड अधिकारी निवाई के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2013 को यथावत रखा गया राजस्व मण्डल अजमेर की टीए 1933/2015 धारा 225 आरटी एक्ट के निर्णय दिनांक 30.05.2024 के विरूद्ध उक्त वादीगणों ने मान्य उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के यहां दिनांक 07.06.2024 को अपील पेश कर दी गई थी। उस में उपखण्ड अधिकारी निवाई के दिनांक 08.03.2013 मुकदमा न. 609/1994 व आरएए टोंक के आदेश 07.04.2015 मुकदमा न. 28/2015 को लिखते हुए उक्त अपील राजस्व उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में वादीगण द्वारा पेश कि गई। जिसमें स्वयं रामसहाय के हस्ताक्षर है जिसको पूर्णरूप से उक्त प्रकरणों की जानकारी थी की उक्त प्रकरणों का निवाई उपखण्ड अधिकारी से लेकर अजमेर तक निर्णय हो चुका है उसके बावजुद भी दिनांक 26.06.2024 को जानबूझकर न्यायालय हाजा को धोके में रखकर उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया क्योकि मान्य हाइकार्ट जयपुर द्वारा वादीगण को कोई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए न्यायालय में आकर जिन खसरा न का पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी गलत रूप से झूटे तथ्य लिखते हुए उक्त वाद पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया। जबकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2013 को मुकदमा न. 609/1994 का निर्णय किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में धारा 11 के प्रावधानुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन व या उनमे से कोई वादा करते है किसी पूर्व के वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चात वृति वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है। विचारण करने के लिए सक्षम था ओर ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है जब स्पष्ट रूप से कानून है कि जिस न्यायालय द्वारा उक्त खसरा न. पर पूर्व में ही निर्णय दिया जा चुका है और पक्षकारों को भी भलीभाति जानकारी है और पक्षकारों ने जानबूझकर न्यायालय को धोखे में रखा उक्त वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र रेस जुडीकेटा का पेश कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा द्वारा जिस वाद का विनिश्चित पूर्व में कर निर्णय सुनाया जा चुका है ऐसे वाद को दुबारा सुनने का कोई औचित्य नहीं होने की वजह से उक्त वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वकील वादी ने रेस जुडिकेटा प्रार्थना पत्र धारा 11 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—कि प्रा0 पत्र के चरण स. 1 ता 4 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात बाबत् प्रकरण मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय में

Scanned with OKEN Scanner

विचाराधीन है यह स्वीकृति स्वयं प्रार्थीगणों ने अपने द्वारा पेश प्रा0पत्र में की है यह स्वीकृति आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तहत स्वीकृति मानी जावेगी। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं निर्णय होना शेष है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 1 निगरानी एल आर 12(520)/4/टोंक(2) निगरानी/एल आर/03(532) 04 टोंक (3) निगरानी/एलआर/4/533/04/टोंक(4) निगरानी/एलआर/5/534/04 टोंक(5) निगरानी/एलआर/6/535/04 टोंक(6) निगरानी/एलआर/7/(536)/04/टोंक निर्णय दिनांक 26.04.2006 द्वारा आदेश के पेज संख्या 6 में मान्य राजस्व मण्डल अजमेर ने ये आदेश पारित किया की पक्षकारों के मध्य लम्बित मूलवाद अन्तिम रूप से जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप नामान्तरण कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में प्रकरण का अन्तिम निर्णय होना शेष है इसिलिए धारा 11 सीपीसी लागू नहीं होती है। एवं पूर्व वाद में जो पक्षकार थे वह पक्षकारी इस वाद में नहीं है पक्षकार भिन्न है विवाद बिन्दू भिन्न है इसलिए हस्तगत प्रकरण धारा 11 सीपीसी से बाधित नहीं है ये है कि प्रार्थीगणों के नाम को खातेदारी गलत रूप से रेवड़ बनाम ओमप्रकाश के रूप मे दर्ज कर बिना नोटिस दिये ही दिनांक 20.06.2024 को अंकित कर दी है। जिस आदेशों का हवाला देकर धारा 11 सीपीसी का प्रा0पत्र लगाया है उसकी गलत रूप से पालना की जा चूकी है, परन्तु तहसीलदार निवाई के आदेश दिनांक 12.07.2024 के आदेश जिससे प्रार्थीगणों को खातेदारी दी गई है उस आदेश को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने अपील/75/न./2024 दिनांक 12.07.2024 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये है जो अस्तित्व में है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0 पत्र पर शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। इसलिए सीपीसी के प्रावधानुसार ऐसा प्रा0 पत्र जो शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। ऐसे प्रा0पत्रों को मान्य न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता बल्कि मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना न्यायोचित है। जवाब प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी पक्ष का प्रा0 पत्र कतई गलत एवं वेगहीन होने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

रेस जूडीकेटा प्रार्थना प्रत्र धारा 11 पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से दौराने बहस रेस जूडीकेटा प्रार्थना प्रत्र धारा 11 पर बहस हेतु कोई निवेदन नहीं किया न ही धारा 11 पर कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा रेसजूडीकेटा प्रार्थना पत्र धारा 11 पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा तकासमा उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ दुरूस्ती इन्द्राज की अधियाचना के साथ खसरा नम्बर 44,92 वाके ग्राम श्रीरूपपुरा व खसरा नम्बर 345, 355, 356, 366, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 463, 703/801, 703/802, 703/803, 703/808, 746, 747, 748, 749, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 कुल किता 27 कुल रकबा 8.8146 हैक्टयर वाके ग्राम जगसरा व खसरा न. 17,18,19 वाके ग्राम बाढ कुकस्या तह0 निवाई जिला टोंक की आराजियत बाबत् मुकदमा न्यायालय हाजा में दिनांक 26.06.2024 को पेश किया था, और स्थगन प्राप्त किया था वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा न. बाबत् इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा दिनांक 02.08.1994 को लालू बनाम मंगली के नाम से दावा दायर किया था। जिसमें भी वादीगण धारा उक्त भूमि में अपना हिस्सा उदघोषित करने के लिए वाद दायर किया था। इस उनवानी वाद में जिस प्रकार कहानी गढ कर वाद तैयार किया था। उसी प्रकार न्यायालय हाजा में जो उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया है उसमें भी वही कहानी गढ कर वाद प्रस्तुत किया है। पहले वाले मुकदमे के न. 609/1994 थे उक्त वाद को वादीगण साबित नही कर पाये थे। इस वजह से दिनांक 08.03.2013 को वाद वादीगण खारिज कर दिया गया था दिनांक 08.03.2013 के निर्णय के विरूद्ध इन्ही वादीगण द्वारा मान्य राजस्व अपील अधिकारी टोंक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कि गई उसके पश्चात उक्त प्रकरण मान्य राजस्व मण्डल अजमेर के ...

Scanned with OKEN Scanner

के उक्त अपील 1933/15 के रूप में दर्ज हुई जिसमें दिनांक 30.05.2024 को आरएए टोंक का निर्णय दिनांक 07.04.2015 को निरस्त करते हुए मान्य उपखण्ड अधिकारी निवाई के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.03.2013 को यथावत रखा गया राजस्व मण्डल अजमेर की टीए 1933/2015 धारा 225 आरटी एक्ट के निर्णय दिनांक 30.05.2024 के विरूध उक्त वादीगणों ने मान्य उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के यहां दिनांक 07.06.2024 को अपील पेश कर दी गई थी। उस में उपखण्ड अधिकारी निवाई के दिनांक 08.03.2013 मुकदमा न. 609/1994 व आरएए टोंक के आदेश 07.04.2015 मुकदमा न. 28/2015 को लिखते हुए उक्त अपील राजस्व उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में वादीगण द्वारा पेश कि गई। जिसमें स्वयं रामसहाय के हस्ताक्षर है जिसको पूर्णरूप से उक्त प्रकरणों की जानकारी थी की उक्त प्रकरणों का निवाई उपखण्ड अधिकारी से लेकर अजमेर तक निर्णय हो चुका है उसके बावजूद भी दिनांक 26.06.2024 को जानबूझकर न्यायालय हाजा को धोखे में रखकर उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया क्योकि मान्य हाइकार्ट जयपुर द्वारा वादीगण को काई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए न्यायालय में आकर जिन खसरा न का पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी गलत रूप से झूटे तथ्य लिखते हुए उक्त वाद पेश कर स्थगन प्राप्त कर लिया जबकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2013 को मुकदमा न. 609/1994 का निर्णय किया जा चुका था ऐसी स्थिति में धारा 11 के प्रावधानुसार कोई थी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसके प्रत्यक्षतः सारतः विवाद विषय उसी हक के अधिन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधिन व या उनमे से कोई वादा करते है किसी पूर्व के वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः सारतः विवाद रहा है जो ऐसे पश्चात वृति वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है। विचारण करने के लिए सक्षम था ओर ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है जब स्पष्ट रूप से कानून है कि जिस न्यायालय द्वारा उक्त खसरा न. पर पूर्व में ही निर्णय दिया जा चुका है और पक्षकारों को भी भलीभाति जानकारी है और पक्षकारों ने जानबूझ कर न्यायालय को धोखे में रखा उक्त वाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र रेस जुड़ीकेटा का स्वीकार किया जाकर वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादीगण वकील ने बहस में कहा कि प्रा0 पत्र के चरण स. 1 ता 4 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात बाबत् प्रकरण मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है यह स्वीकृति स्वंम प्राथीगणों ने अपने द्वारा पेश प्रा0पत्र में दी है यह स्वीकृति आदेश 12 नियम 6 सीपीसी के तहत स्वीकृति मानी जावेगी इस प्रकार यह प्रमाणीत है कि प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं निर्णय होना शेष है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 1 निगरानी एल आर 12(520)/4/टोंक(2) निगरानी/एल आर/03(532) 04 टोंक (3) निगरानी/एलआर/4/533/04/टोंक(4) निगरानी/एलआर/5/534/04 टोंक(5) निगरानी/एलआर/6/535/04 टोंक(6) निगरानी/एलआर/7/(536)/04/टोंक निर्णय दिनांक 26.04.2006 द्वारा आदेश के पेज संख्या 6 में मान्य राजस्व मण्डल अजमेर ने ये आदेश पारित किया की पक्षकारों के मध्य लम्बित मूलवाद अन्तिम रूप से जो निर्णय होगा उसी के अनुरूप नामान्तरण कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में प्रकरण का अन्तिम निर्णय होना शेष है इसलिए धारा 11 सीपीसी लागू नहीं होती है एवं पूर्व वाद में जो पक्षकार थे वह पक्षकारी इस वाद में नहीं है पक्षकार भिन्न है विवाद बिन्दू भिन्न है इसलिए हस्तगत प्रकरण धारा 11 सीपीसी से बाधित नहीं है ये है कि प्रार्थीगणों के नाम को खातेदारी गलत रूप से रेवड़ बनाम ओमप्रकाश के रूप मे दर्ज कर बिना नोटिस दिये ही दिनांक 20.06.2024 को अंकित कर दी है। जिस आदेशों का हवाला देकर धारा 11 सीपीसी का प्रा0पत्र लगाया है उसकी गलत रूप से पालना की जा चूकी है। परन्तु तहसीलदार निवाई के आदेश दिनांक 12.07.2024 के आदेश जिससे प्रार्थीगणों को खातेदारी दी गई है उस आदेश को माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर ने अपील/75/न./2024 दिनांक 12.07.2024 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश

Scanned with OKEN Scanner

पारित किये है जो अस्तित्व में है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0 पत्र पर शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। इसलिए सीपीसी के प्रावधानुसार ऐसा प्रा0 पत्र जो शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। ऐसे प्रा0पत्रों को मान्य न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाकर प्रार्थी पक्ष का प्रा0 पत्र कतई गलत एवं वेगहीन होने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता बहस उभयपक्षकारान का विधि के आलोक में सम्पूर्ण मनोयोग से चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावजेता का अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती वाद का निर्णय दिनांक 08.03.2013 को दोनो पक्षो को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णीत किया जा चुका है। पूर्ववर्ती वाद (निर्णय दिनांक 08.03.2013) एवं न्यायालय हाजा में दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत विचाराधीन वाद में समान पक्षकार समान विषयवस्तु एवं समान अनुतोष होने के कारण सीपीसी के सेक्शन 11 के रेसजुडीकेटा सिद्धान्त से बाधित है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सेक्शन 11 स्वीकार कर वाद वादी खारीज किया जाता है।

पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30-04-25 को सुनाया गया।

(अनिता कुमारी खटीक)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक),
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(अनिता कुमारी खटीक, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्या:– 53 / 2024

निर्णय दिनांक:–

उनवान

रामसहाय बनाम रामलाल वगै0

दावा बाबत तकासमा इस्तकरार हक ,घोषणा दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
धारा 88,188 काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिता कुमारी खटीक व हाजरी श्री सीताराम शर्मा वकील वादी श्री रामकल्याण पुनिया वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पूर्ववर्ती वाद का निर्णय दिनांक 08.03.2013 को दोनो पक्षो को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णीत किया जा चुका है। पूर्ववर्ती वाद (निर्णय दिनांक 08.03.2013) एवं न्यायालय हाजा में दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत विचाराधीन वाद में समान पक्षकार समान विषयवस्तु एवं समान अनुतोष होने के कारण सीपीसी के सेक्शन 11 के रेसजुडीकेटा सिद्धान्त से बाधित है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सेक्शन 11 स्वीकार कर वाद वादी खारीज किया जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह सन् को जारी की गई।

(अनिता कुमारी खटीक)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक),
निवाई

Scanned with OKEN Scanner